उत्तर प्रदेश सरकार
औद्योगिक विकास विभाग-6
संख्या : 985 /77-6-09 /33(एम)/05 टी०सी०
लखनऊ : दिनांक : 28 मई, 2009

-: कार्यालय-ज्ञाप :-

शासन स्तर पर निर्णय लिया गया है कि प्रदेश में ऐसी व्यवस्था सृजित की जाए जिसमें अवस्थापना/औद्योगिक/संपूर्ण सेवा क्षेत्र (शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन आदि) की निवेश संबंधी समस्याओं का निदान **'एकल मेंज व्यवस्था'** के अधीन किया जाए। अतएव औद्योगिक विकास विभाग द्वारा मंडल स्तरीय उद्योग बन्धु के माध्यम से उद्योगो के साथ-साथ सेवा क्षेत्र के उपक्रमों एवं अवस्थापकीय सुविधायें स्थापित कराये जाने संबंधी उपक्रमों की समस्याओ का निराकरण एवं अनुश्रवण हेतु संबन्धित विभागो के प्रतिनिधियो को भी नामित करने हेतु महामहिम श्री राज्यपाल महोदय द्वारा निम्नवत् आदेश दिये जाते है :-

1. खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. पर्यटन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6. आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
7. चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
8. चिकित्सा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
9. परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
10. गृह विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
11. गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
12. सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलैक्ट्रानिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
13. माध्यमिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
14. ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
15. कर एवं निबंधन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
16. श्रम विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
17. राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
18. वन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
19. पर्यावरण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
20. उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
21. बेसिक (प्रारम्भिक) शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

कार्यालय ज्ञाप संख्या-2908/18-2, दिनांक 23 जून, 1990 के प्रस्तर-(II) ख में वर्णित समिति के कार्यक्षेत्र को बढ़ाते हुए यह व्यवस्था की जाती है कि औद्योगिक इकाईयो के साथ-साथ सेवा क्षेत्र के उपक्रमों एवं अवस्थापकीय सुविधाये स्थापित कराये जाने संबंधी उपक्रमों की समस्याओं का निराकरण एवं विभिन्न सुविधाओ की स्वीकृति जो मंडल स्तरीय अधिकारियो के द्वारा ही संभव हो, के प्रार्थना-पत्रों पर विचार करने के उपरान्त यथासंभव बैठक में ही निर्णय कराया जायेगा।

उपरोक्त सीमा तक कार्यालय ज्ञाप संख्या-2908/18-2, दिनांक 23 जून, 1990 को संशोधित किया जाता है।

उपरोक्त आदेशो का पालन सुनिश्चित कराया जाए।

भवदीय,

(वी0के0 शर्मा)
अवस्थापना एवं
औद्योगिक विकास आयुक्त

संख्या : 984(1)/77-6-09/ तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त मंडलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त अपर/संयुक्त निदेशक उद्योग, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त महा प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र।
8. अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश विद्युत निगम।
9. अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।
10. अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु।
11. उद्योग विभाग के समस्त विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अनुसचिव/समस्त अनुभाग अधिकारी।
12. निदेशक, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आज्ञा से-

(कैप्टन एस0के0 द्विवेदी)
विशेष सचिव

उत्तर प्रदेश शासन

उद्योग अनुभाग-2

संख्या 2908/18-2-

लखनऊ: दिनांक 23 जून, 1990

कार्यालय-ज्ञाप

उद्योग अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या :7280-18-2-6-4(8)-88, दिनांक 28 फरवरी, 1989 के द्वारा सभी जनपदों में जिला लघु उद्योग बन्धु का गठन किया गया है। इस समिति के द्वारा जनपदों में अच्छा कार्य किया गया है। शासन का यह मत है कि इस समिति के द्वारा अब जनपदों में लगने वाली सभी औद्योगिक इकाइयों के विषय में कार्य किया जाय। अतः यह निर्णय लिया गया है कि अब इस समिति का नाम "जिला उद्योग बन्धु" होगा।

2- इस समिति के सदस्य पूर्व जारी कार्यालय-ज्ञाप संख्या:7280-18-2-4(8)/88, दिनांक 28 फरवरी, 1989 के अनुसार ही रहेंगे।

3-(1) इस समिति के कार्यकलाप अब निम्नलिखित होंगे:-

अ- स्थापित होने वाले उद्योगों को शासन की नीति के अनुरूप सुविधाएं उपलब्ध कराना व विभिन्न विभागों व वित्तीय संस्थाओं से समन्वय करना।

ब- इकाइयों को विभिन्न सुविधाएं दिये जाने के विषय में होने वाली समस्याओं के निराकरण हेतु यथासम्भव बैठकों में निर्णय लेना।

स- विभिन्न मामले, जो जिला मण्डलीय अथवा राज्य स्तर पर स्वीकृत होते हैं, के निर्णयों का प्रभावी अनुश्रवण करना।

द- प्रत्येक जनपद में लघु, लघुतर, ग्रामीण, खादी, हस्तशिल्प उद्योगों की स्थापना तथा उनके आधुनिकीकरण में प्रगति सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक निर्णय लेने तथा उसकी प्रगति की समीक्षा।

(2) बैठक प्रक्रिया पूर्व जारी कार्यालय-ज्ञाप दिनांक:28-2-89 के अनुसार ही रहेगी।

4-(1) शासन द्वारा यह भी महसूस किया गया है कि ऐसी अनेकों समस्याएं उद्योगों के सामने आती हैं, जिनका समाधान मण्डलस्तर पर ही होता है। अतः एक मण्डलीय उद्योग बन्धु के गठन का भी निर्णय लिया गया है। राज्यपाल महोदय मण्डलीय उद्योग सहायक समिति निम्नवत गठित किये जाने का आदेश देते हैं:-

1- मण्डलायुक्त

अध्यक्ष

3. संयुक्त/उप विकास आयुक्त — सदस्य
4. निर्माण विभाग के वरिष्ठतम: क्षेत्रीय अधिकारी ,,
5. श्रम विभाग के वरिष्ठतम मण्डलीय अधिकारी ,,
6. विद्युत विभाग के वरिष्ठतम मण्डलीय अधिकारी ,,
7. उ0प्र0लघु उद्योग निगम के संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी ,,
8. लीड बैंक के अधिकारी ,,
9. यू.पी.एस.आई.डी.सी. के क्षेत्रीय अधिकारी ,,
10. मण्डलीय उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी/वरिष्ठ प्रबन्धक, ग्रामोद्योग ,,
11. उ0प्र0वित्तीय निगम के क्षेत्रीय अधिकारी ,,
12. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी ,,
13. क्षेत्रीय अपर/संयुक्त निदेशक, उद्योग ,,

बैठक में अतिरिक्त किन्तु यदि किसी संस्था अथवा स्थानीय निकाय के सम्बन्धित हो तो, उसके प्रतिनिधि को आमंत्रित किया जाय।

(ii) समिति के कार्यः-

क. मण्डल के समस्त जिला उद्योग बन्धुओं के कार्य का पुनरीक्षण करना, तथा सम्यक् विचार करके उनका समन्वय तथा दिग्दर्शन करना।

ख. मण्डल में स्थापित होने वाले विभिन्न औद्योगिक इकाइयों को विभिन्न सुविधायें दिये जाने एवं उनकी विभिन्न समस्याओं के निराकरण हेतु जिनकी स्वीकृति मण्डलस्तरीय अधिकारियों के द्वारा ही संभव हो, के प्रार्थना-पत्रों पर विचार करने के उपरान्त यथासंभव बैठक में ही निराकरण किया जाना।

ग. विभिन्न औद्योगिक संस्थाओं के बीच अन्तःसमन्वय स्थापित करना।

घ. मण्डल में लगने वाले महत्वपूर्ण औद्योगिक इकाइयों की प्रगति की समीक्षा करना तथा शासन को उनकी समस्याओं से अवगत कराना।

ङ. मण्डल में ग्रामीण, लघु, लघुतर, आदि, हस्तशिल्प उद्योगों के प्रसार हेतु प्रयास करना।

(iii) समिति की बैठक प्रत्येक माह में एक बार आयोजित की जायेगी।

(iv) समिति की बैठक की सूचना संबंधित औद्योगिक इकाइयों को भी पहले से भेज दी जाये, जिससे कि उनके प्रतिनिधि बैठक की कार्यवाही में भाग ले सकें। बैठक हेतु एजेण्डा तैयार करने हेतु पहले ही उद्यमियों से उ०

समस्याओं का विवरण प्राप्त कर लिया जायेगा। इस तरह से तैयार किया गया एजेण्डा सभी स्थायी/नामित सदस्यों एवं संबंधित विभागों को आवश्यक कार्यवाही हेतु कम से कम एक सप्ताह पूर्व भेज दिया जायेगा। यह आवश्यक है क्योंकि विभाग संबंधित समस्या पर पूर्व से स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, जिससे कि बैठक के समय ही निर्णय लिया जा सके।

(२) समिति की बैठक की सूचना प्रमुख सचिव, उद्योग सचिव, लघु उद्योग सचिव, इलेक्ट्रानिक्स सचिव, ग्रामीण उद्योग व उद्योग निदेशक को भेजी जायेगी। जिससे कि वे या उनका कोई प्रतिनिधि बैठक में भाग ले सके। समिति की बैठक का कार्य एवं बैठक में लिए गये निर्णयों के अनुपालन में कृत कार्यवाही की सूचना नियमित रूप से उद्योग निदेशक, कानपुर एवं अतिरिक्त निदेशक/अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, नवचेतना केन्द्र लखनऊ को प्रेषित की जायेगी।

(३) जिला उद्योग बन्धु की बैठक में सम्यक् विचारोपरान्त एवं स्थानीय स्तर पर सभी संभव प्रयास करने के उपरान्त औद्योगिक इकाइयों के ऐसे मामले हो सकते हैं, जिनपर निर्णय जिला स्तर पर संभव नहीं हो पाता है, इनमें ऐसे मामले, जिनका निर्णय मण्डल स्तर पर हो सकता है, को पूर्ण विवरण सहित संयुक्त/अपर परिक्षेत्रीय निदेशक, उद्योग/सचिव, मण्डलीय उद्योग बन्धु को समिति की बैठक में निर्णय हेतु प्रेषित करने के लिए भेज दिया जायेगा। इसी प्रकार से ऐसे मामले जिनपर निर्णय राज्य स्तर पर हो सकता है, को पूर्ण विवरणसहित अपर निदेशक, उद्योग/अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु लखनऊ को राज्य स्तरीय उद्योग बन्धु के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत करने के लिए भेज दिया जायेगा।

इसी प्रकार से मण्डल स्तरीय उद्योग सहायक समिति की बैठक में सम्यक् विचारोपरान्त एवं स्थानीय स्तर पर सभी संभव प्रयास करने के उपरान्त औद्योगिक इकाइयों के ऐसे मामले जिनपर निर्णय मण्डल स्तर पर नहीं हो सकता है, उनका पूर्ण विवरणसहित अतिरिक्त निदेशक/अधि०निदेशक, उद्योग बन्धु को प्रेषित किया जायेगा, जिससे कि वे उस पर मुख्यालय स्तर पर कार्यवाही कर सकें और आवश्यकतानुसार मामले को राज्य स्तरीय उद्योग बन्धु की बैठक में प्रस्तुत कर सकें।

प्रभात कुमार
प्रमुख सचिव, उद्योग।